



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122024-259180
CG-DL-E-05122024-259180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4848]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2024/अग्रहायण 14, 1946

No. 4848]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2024/AGRAHAYANA 14, 1946

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5241(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से "पेंशन निधि द्वारा प्रवर्तित स्कीमों" को वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 3/15/2022-ईएम-भाग (1)]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2024

S.O. 5241(E).—In exercise of the powers conferred by sub- clause (vi) of clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby notifies the ‘schemes operated by a pension fund’, as a ‘financial product’ for the purposes of the said Act, with effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/15/2022-EM-Part (1)]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.